



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

क्रमांक / रासेयो / 2022–23 / 291

दिनांक :— 06 / 11 / 2023

प्रति,

प्राचार्य / निदेशक / विभागाध्यक्ष

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से सम्बद्ध

समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय

विषय :— इन्टेन्सिव स्वीप अंतर्गत स्लोगन “आओ चलो बूथ की ओर” स्ट्रेटजी से आगामी 12 दिवस के लिए स्वीप गतिविधियों के आयोजन के संबंध में।

संदर्भ :— जिला नोडल अधिकारी (स्वीप) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला इंदौर का प्रत्र क्रमांक / 5386 / / वि.स.निर्वा. / स्वीप / 23–24 इंदौर, दिनांक 04.11.2023।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त संदर्भ एवं विषयान्तर्गत लेख है कि, दिनांक 17 नवंबर, 2023 (शुक्रवार) को विधानसभा आम निवार्वन के लिये मतदान सम्पन्न होना है। मतदान तिथि के पूर्व निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. द्वारा उनके पत्र क्रमांक 104 / 09 / स्वीप / 2023 / 12166 दिनांक 04 / 11 / 2023 के द्वारा प्रत्येक मतदान केन्द्रों के क्षेत्र में संलग्न मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. के पत्र दिनांक 04.11.2023 में दर्शित कार्यक्रम अनुसार स्वीप गतिविधियों का संचालन प्रत्येक मतदान केन्द्र के बूथ अवयरनेस यूप BAG के माध्यम से संबंधित पत्र में उल्लेखित स्वीप गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

BAG दल में निम्न सदस्य होंगे:-

1. बीएलओ अपने केन्द्र के BAG दल के स्वीप कार्य के समन्वयक / आयोजक होंगे।
2. मतदान केन्द्र से संबंधित पंचायत सचिव / ग्राम रोजगार सहायक / नगर निगम / नगर पंचायत के वार्ड स्तरीय कर्मचारी।
3. मतदान केन्द्र क्षेत्र की शाला के सभी शिक्षक।
4. मतदान केन्द्र की आगनवाड़ी के कार्यकर्ता सहायिका।
5. मतदान केन्द्र क्षेत्र के राजस्व विभाग के कोटवार वनरक्षक अन्य ग्राम वार्ड स्तरीय कर्मचारी।

उक्त दल अपने मतदान केन्द्र के लिये संलग्न मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. का संलग्न पत्र में दर्शित कार्यक्रम अनुसार गतिविधियों का अयोजन इंदौर जिले की समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय / संस्थान उक्त कार्यक्रम का आयोजन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें। आयोजित गतिविधियों के लिये बैनर / तस्तियाँ आदि व्यवस्था संबंधित पंचायत / नगरीय निकाय के द्वारा व स्वयं के साधन से की जाना है। आयोजित प्रतिदिन की गतिविधियों की जानकारी / प्रगति जिला निर्वाचन नोडल अधिकारी, जिला इंदौर को भेजने का कष्ट करें।


स्वीप गतिविधियों में शिक्षा / उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ईएलसी के माध्यम से उक्त कार्यक्रम 15 दिवस की अवधि में प्रतिदिन स्वीप गतिविधियों के माध्यम से संचालन किया जाना सुनिश्चित है चुनाव पाठशाला / वोटर अवयरनेस फोरम द्वारा भी मतदान दिनांक तक स्वीप गतिविधि के संचालन संबंधित जिला निर्वाचन नोडल अधिकारी, जिला इंदौर को सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न :- “आओ चलो बूथ की ओर” गहन स्वीप स्ट्रेटजी अंतर्गत मतदान दिवस तक स्वीप गतिविधियों के आयोजन का कैलेण्डर जिला इंदौर।

प्रतिलिपि :-

1. जिला नोडल अधिकारी स्वीप एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इंदौर की ओर सूचनार्थ।
2. जिला निर्वाचन अधिकारी जिला इंदौर की ओर सूचनार्थ।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, इंदौर सम्मान, मोती तबेला इंदौर की ओर सूचनार्थ।
4. निज सचिव मा. कुलपति देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक कुलसचिव देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर की ओर सूचनार्थ।


कुलसचिव


कार्यक्रम समन्वयक, रासेयो

"आओ चलो बृथ की ओर " गहन स्वीप स्ट्रेटेजी अन्तर्गत मतदान दिवस तक स्वीप गतिविधियों के आयोजन का कैलेण्डर जिला इन्डौर

क्र.	दिनांक	विषय/लक्षित समूह/वर्ग	की जाने वाली गतिविधि
1	4 एवं 5 नवम्बर	दिल्यांग मतदाता/80+आयु के वरिष्ठ मतदाता का सम्मान आयोजित गतिविधियाँ	<p>1. पंचायत/वार्ड ऑफिस में दिल्यांग मतदाता/80+आयु के वरिष्ठ मतदाता का सम्मान आयोजित करना/ट्रायासिकल ऐली का आयोजन</p> <p>2. इन मतदाताओं से डोर टू डोर सम्पर्क कर इनसे मतदान करते हेतु संकल्प पत्र भरवाना</p> <p>3. यदि इन मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर आने में समस्या है तो उनके सहयोग हेतु निकाय/रिटिंग अधिकारी को सूचित करना/बृह 80+ मतदाता के लिये गहन हेतु मीपण</p> <p>4. इन मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देना</p> <p>5. समाम एप की जानकारी देना एवं एप डाउनलोड करवाना</p>
2	05 एवं 6 नवम्बर	अनुसूचित जनजाति वर्ग मतदाता/वस्तियाँ	<p>1. इन क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता ऐली/मतदाता सम्मेलन का आयोजन करना/स्वीप थीम पर सामूहिक लोक नृत्य का आयोजन</p> <p>2. इन मतदाताओं से डोर टू डोर सम्पर्क कर इनसे मतदान करने हेतु संकल्प पत्र भरवाना</p> <p>3. यदि बस्ती के बड़ी संख्या में श्रमिक पलायन पर है या अनुपस्थित है तो उनसे दूरभाष पर मतदान हेतु आमंत्रित करना । इनके पलायन स्थान के लियोजक का विवरण निकाय/रिटिंग अधिकारी को सूचित करना</p>

क्र.	दिनांक	विषय/लक्षित समूह/वर्ग	की जाने वाली गतिविधि
3	07 एवं 08 नवम्बर	संगठित /असंगठित क्षेत्र में कार्यपात्र श्रमिक	<p>1. इण्डस्ट्रीज /बड़े संस्थान संचालकों की बैठक बुलाकर उन्हें मतदान दिवस को अपने संस्थान के श्रमिकों को मतदान हेतु अवकाश दिये जाने के लिये पाबंद करना</p> <p>2. इण्डस्ट्रीज /बड़े संस्थान में मतदाता जागरूकता ऐली/मतदाता सम्मेलन का आयोजन करना/ वोटर अंतेयरनेस फोरम का गांज एवं बैठक करना</p> <p>3. श्रमिकों से मतदान करने हेतु संकल्प पत्र भरवाना</p> <p>4. मतदान केन्द्र क्षेत्र के बड़ी संस्थाएँ में श्रमिक जिन फेक्ट्री/संस्थान में कार्य करते हैं उनकी सूची एवं विवरण लिखाय/रिटिनिंग अधिकारी को सूचित करना</p> <p>5. इन मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर उपलब्ध सार्विधाओं की जानकारी देना</p>
4	09 एवं 10 नवम्बर	बेग दल/युनाईट पाठशाला की गतिविधि	<p>1. प्रत्येक मतदान केन्द्र के वृथत्य अवयरनेस युप के सभी विभागों के क्षेत्रीय कमीचारी एवं बीएलओ मतदान केन्द्र के बस्ती में मतदाता जागरूकता ऐली/मतदाता समूह बैठक कर मतदान हेतु जागरूक करेंगे ।</p> <p>2. प्रत्येक मतदान केन्द्र से मतदाताओं द्वारा भरे गये संकल्प पत्र रिटिनिंग अधिकारी कार्यालय में जमा करवाना</p> <p>3. चुनाव पाठशाला/बेग दल बैठक का आयोजन बीएलओ द्वारा संचालन करना एवं युवा मतदाता सम्मेलन 4. संस्कृतिक स्वीप गतिविधि ।</p>
5	11 नवम्बर	महिला मतदाता संबंधी गतिविधियाँ	<p>1. आंगनवाड़ी कार्यकारी/आजीविका मिशन द्वारा महिला सम्मेलन/ऐली का आयोजन</p> <p>2. सामूहिक शपथ/संकल्प पत्र भरवाना</p> <p>3. ग्राम में मुख्य चौक पर स्वीप संबंधी बड़ी रांगोली बनाना/मेहंदी रांगोली प्रतियोगिता</p> <p>4. स्वयं सहायता समूह/महायान्ह भोजन समूह/एनएम/एमपी उल्लंघन/आशा के माध्यम से महिलाओं को प्रोत्तर करना ।</p>
6	11 एवं 12 नवम्बर	दीप उत्सव-मतदान केन्द्र पर श्रमदान/साज सज्जा	<p>1. बेग दल /ग्राम के कमीचारी एवं मतदाता जागरूकता समूह के सदस्यों द्वारा मतदान केन्द्र पर स्वरचिता एवं साज सज्जा हेतु श्रमदान</p> <p>2. प्रत्येक मतदान केन्द्र पर संघर्षा में दीप प्रज्वलन करना</p>

क्र.	दिनांक	विषय/लक्षित समूह/वर्ग	की जाने वाली गतिविधि
7	13 नवम्बर	पलायन वाले मतदाताओं से सम्पर्क	<p>पलायन वाले मतदाताओं से अमरित करना /मतदान हेतु प्रेरित करना, इनके पलायन स्थान के नियोजक का विवरण निकायरिटिंग अधिकारी को सूचित करना</p> <p>प्रवासी यामीणों की व्हाटसप ग्रुप तैयार करना ।</p> <p>1. यदि बस्टी के बड़ी संख्या में श्रमिक पलायन पर है या अनुपस्थित है तो उनसे दरभाष पर मतदान हेतु अमरित करना /मतदान हेतु प्रेरित करना, इनके पलायन स्थान के नियोजक का विवरण निकायरिटिंग अधिकारी को सूचित करना</p> <p>2- प्रवासी यामीणों की व्हाटसप ग्रुप तैयार करना ।</p> <p>1. रहवासी संघो/शैक्षणिक संस्थाओं एवं मतदान केन्द्र क्षेत्र में मतदाता जागरूकता गतिविधि</p> <p>2- ईपलसी की बैठक करना/सदस्यों को सी विजिल एप डाउनलोड करना/संकल्प पत्र भरवाना/ विभिन्न स्वीप सांस्कृतिक कार्यक्रम</p> <p>संबंधित मतदाताओं का प्रशिक्षण/सहयोग/मतदान हेतु प्रेरित करना,</p> <p>2 वाय 3 फीट आकार का सफेद रंग का ध्वज जिसके एक ओर निर्वाचन आयोग का लोगो एवं दूसरी ओर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प. का लोगो प्रदर्शित हो फहराया जायेगा । आम नागरिकों को शामिल कर छव्ज फहराना/मतदाता जागरूकता ऐली रैली में मौजूद हो एवं बीएलओ द्वारा प्रत्येक मतदान केन्द्र तक उक्त झण्डे को लेकर ऐली लिकालना । ऐली में मौजूद हो एवं म.प. का जागरूकता गीत " जाग उठा है एम.पी. सारा " बजाया जाना है । जागरूकता जारे आदि द्वारा प्रचार किया जायेगा ।</p>

(सिद्धार्थ जैन, खासग.)

जिला नोडल अधिकारी (स्वीप) एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इन्सीर